



माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

59



R- 827-I/12

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक -----/12-13

बबलू सिंह तनय स्वर्गीय हिन्दू सिंह उग्र सात पेशा खेती निवासी ग्राम
उपनी तहसील गोपदबनास थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी म०प०---

----- निगरानीकर्ता

बनाम,

1- रघुराज सिंह पिता कैलाश सिंह निवासी ग्राम उपनी तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म०प०

2- म०प०शासन

----- अनावेदकगण

क्रमांक 631
निर्दिष्ट पाठ्य आज
12.3.99 प्राप्त
व
12.3.99

निगरानी विद्य आदेश न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास जिला
सीधी म०प० प्रकरण क्रमांक- 11/अ-12/2011-12
में पारित आदेश दिनांक 28.12.2011

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भू राजस्व
संहिता 1959

मान्यकर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :---

1/ यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज
न्याय के सिद्धांत के प्रतिबल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2/ यह कि अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा ग्राम उपनी तहसील गोपदबनास
की भूमि नम्बर 905 रकबा 2.32 है का सीमांक दिनांक 4.6.99 को भी राजस्व
प्रकरण क्रमांक- 66/अ-12/98-99 के माध्यम से कराया गया था जो 10.7.2000
को पुष्ट किया गया था। वूँकि उक्त सीमांक के समय ही निगरानीकर्ता

R 827-I/12 सीधी
बकसिंह / रघुनाथ सिंह

15.9.15-

- 1- प्रकाश प्रकृत।
- 2- आवेदक तथा उनके अभिभावक श्री सोमेश्वर सिंह की प्रकाश करायी गयी किन्तु लच्छा उपरांत उपाधित नहीं है। आवेदक को नोएला भी भी लम्बील करायी गयी है।
- 3- अतः आवेदक के द्वारा लच्छा उपरांत उपाधित नहीं होने के कारण संस्था की चारा 35(2) के तहत अदम पैरवी में रखाया किया जाता है।
- 4- प्रकाश पंजी से समाप्त लेकर दान. हो।

सदस्य.